कार्यालयः— जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

क्रमांक : 22 /20 अलीराजपुर, दिनांकः 11/4/2020

विविध आदेश

विषयः—माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वमेव रिट—पीटिशन (सिविल) क्रं 5/2020 IN RE: GUIDELINES FOR COURT FUNCTIONING THROUGH VIDEO CONFERENCING DURING COVID-19 PANDEMIC के अनुपालन हेतु रूपरेखा बनाये जाने के संबंध में।

संदर्भः—माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर का ज्ञापन क्रं. 405/ CONFDL/ 2020 जबलपुर, दिनांक 07.04.2020

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Covid-19 की चुनौती से सामना करने की अवधि में आगामी आदेश तक के लिये विषयांकित रिट पीटिशन 04 सप्ताह पश्चात सुनवाई हेतु नियत की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय से आगामी निर्देश प्राप्त होने तक कोरोना वायरस Lockdown के अस्थाई संक्रमण की अवधि के लिये न्यायालयीन कार्यवाही के संचालन हेतु निम्न रूपरेखा बनाई जाती है :—

1. Corona Lockdown की अवधि में न्यायालयीन सुनवाई एक अपवाद होगी परंतु सुनवाई हेतु VIDEO CONFERENCING TECHNOLOGY का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।

2. न्यायालय परिसर में न्यायालयीन सुनवाई के दौरान सभी सहभागियों (Stake-holders) को सामाजिक दूरी संबंधी दिशा—निर्देश एवं सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्रथाओं का पालन करना होगा।

3. VIDEO CONFERENCING TECHNOLOGY से संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु श्री अभय सोलंकी, सिस्टम असिस्टेंट एवं श्री सुनिल मसानिया, सहायक ग्रेड—3 से, उनके मोबाईल नं. क्रमशः **9893204493** एवं **9669922011** पर संपर्क किया जा सकेगा।

4. VIDEO CONFERENCING द्वारा प्रकरणों की सुनवाई के दौरान म. प्र. विडियो कांफ्रेसिंग नियम, 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जावेगा। किसी भी दशा में उभयपक्ष की पूर्व सहमति के बिना, द्वि—पक्षीय साक्ष्य विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अभिलिखित नहीं की जावेगी। पीठासीन अधिकारी द्वारा उभयपक्ष की पूर्व सहमति से द्वि—पक्षीय साक्ष्य न्यायालय कक्ष में अभिलिखित

करना आवश्यक होने की दशा में, दो व्यक्तियों के मध्य उचित दूरी बनाये रखना सुनिश्चित की जावेगी। जब तक की कोई संक्रामक बीमारी से पीडित नहीं हो, उसका प्रवेश नहीं रोका जावेगा। इस संबंध में न्यायालय परिसर में प्रवेश करने पर प्रत्येक पक्षकार एवं गवाह को शासकीय जिला चिकित्सालय अलीराजपुर से मेडिकल परीक्षण कराकर, परीक्षण रिपोर्ट/मेडिकल जांच पर्ची लेकर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

5. सभी अधिवक्तागण आवेदन पत्रों पर अपना एवं पक्षकार का पूरा नाम, ई-मेल आई.डी/मोबाईल नंबर आवश्यक रूप से उल्लेखित करेंगे, जिससे उन्हें संबंधित न्यायालय के द्वारा सुनवाई की तिथि Whats App/S.M.S. के माध्यम से प्रेषित की जा सके तथा Vidyo App के माध्यम से सुनवाई हेतु URL Link उनके मोबाईल नंबर पर प्रेषित किया जा सके। समस्त अधिवक्तागण Vidyo App. को Google Play Store से Download कर सकते हैं।

6. यदि किसी कारणवश संबंधित अधिवक्ता को विडियो कनेक्शन हेतु आवश्यक URL Link प्राप्त नहीं होती है या वे VIDEO CONFERENCING के माध्यम से तर्क कर पाने में असमर्थता प्रकट करते है तो वे लिखित तर्क भी संबंधित न्यायालय को E-mail I.D. पर प्रेषित कर सकते हैं अथवा Skype/ Whats App Video Call का उपयोग भी कर सकते हैं।

7. पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर द्वारा रिमाण्ड/जमानत/सुपुर्दगीनमा से संबंधित अर्जेंट प्रकृति के आपराधिक मामलों में पुलिस प्रतिवेदन एवं केस डायरी की उपलब्धता संबंधित न्यायिक अधिकारी की E-mail I.D. पर Upload कराने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामांकित कर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय को उनका नाम, पदनाम, मोबाईल नंबर, E-mail I.D. और अन्य आवश्यक विशिष्टियां संसूचित की जावेगी। नोडल अधिकारी न्यायिक अधिकारी के E-mail I.D. पर पुलिस प्रतिवेदन/केस डायरी Upload कराकर, Uploading की सूचना संबंधित कोर्ट मोहर्रिर को उनके मोबाईल नंबर दिलाई जाना सुनिश्चित करेंगे।

8. यदि किसी Technichal कारण से पुलिस प्रतिवेदन/केस डायरी उपरोक्तानुसार E-mail पर न की जा सके तो नोडल अधिकारी, इसे स्वयं लिखित में संबंधित न्यायिक अधिकारी को सूचित करते हुए, पूर्व की भांति पुलिस प्रतिवेदन/केस डायरी शीघ्र-अतिशीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करायेंगे।

9. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से संबंधित मामलों में पीडित को राज्य/विशेष लोक अभियोजक द्वारा भेजे जाने वाले नोटिस में पक्षकार को यह विकल्प दिया जावेगा कि उसे न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है, यदि वे चाहे तो अपने/संरक्षक के मोबाईल नंबर (जिसका उल्लेख FIR

में कराया हो) से सिस्टम असिस्टेंट को मोबाईल नंबर **9893204493** पर Whats App/S.M.S. से भी अपनी आपत्ति प्रेषित कर सकते है। यदि वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहे तो उन्हें अभिभाषक–कक्ष (BAR-ROOM) एवं **Family Court** में उपस्थित होना होगा।

10. VIDEO CONFERENCING के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रकरण से संबंधित पक्षकार एवं अधिवक्ता को उपस्थिति का सूचना–पत्र Scanned कर Whats App किया जावेगा, जिससे नियत दिनांक को सुनवाई हेतु न्यायालय में आते–जाते समय वे, उन्हें Corona Virus Lockdown Duty पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों / पुलिस कर्मचारियों को आवागमन हेतु दिखा सके, जिससे कि उनको कोई असुविधा न हो तथा विधि व्यवस्था डयूटी में कोई परेशानी उत्पन्न नहीं हो।

11. संबंधित न्यायिक अधिकारीगण द्वारा जिला मुख्यालय अलीराजपुर एवं तहसील जोबट पर, उपरोक्त रूपरेखा अनुसार कार्य किया जा सकेगा।

12. उपरोक्त रूपरेखा कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर के साथ अलीराजपुर में पदस्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला रजिस्ट्रार जिला न्यायालय अलीराजपुर की उपस्थिति में आयोजित बैठक एवं दूरभाष पर की गई चर्चा के उपरांत आगामी आदेश तक के लिये अस्थाई तौर पर तैयार की गई है।

संलग्नः–

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विषयांकित आदेश।
2. माननीय उच्च न्यायालय का संदर्भित ज्ञापन।
3. समस्त निष्पादन लिपिकों / सिविल रीडर्स के मोबाईल नंबर।

sd/-
कृष्ण गोपाल सुरेका
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अलीराजपुर (म.प्र.)

कमांक : 554 /20 **अलीराजपुर दिनांकः 11/4/2020**

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रर जनरल, माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं प्रशिक्षु न्यायाधीश अलीराजपुर / जोबट की ओर सूचनार्थ।

3. अध्यक्ष, कम्प्यूटर समिति/नोडल अधिकारी अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ।
7. सिविल सर्जन सह–मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ।
8. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, अलीराजपुर/जोबट की ओर सूचनार्थ।
9. प्रभारी अधीक्षक जिला जेल अलीराजपुर/उप–जेल जोबट की ओर सूचनार्थ।
10. प्रशासनिक अधिकारी/उप–प्रशासनिक अधिकारी अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ।
11. समस्त अनुविभाग, प्रभारी अधिकारी अलीराजपुर/जोबट की ओर सूचनार्थ।
12. जनसंपर्क अधिकारी अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ।
13. जिला नाजिर अलीराजपुर/नायब नाजिर जोबट के माध्यम से जिला मुख्यालय अलीराजपुर एवं तहसील न्यायालय जोबट पर पदस्थ समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को उपरोक्त जानकारी सूचित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
14. प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
15. सिस्टम असिस्टेंट अलीराजपुर/जोबट।
16. सिस्टम असिस्टेंट अलीराजपुर की ओर उपरोक्त जानकारी संबंधित को **E-mail** के माध्यम से सूचित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

11-5-20

कृष्ण गोपाल सुरेका
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अलीराजपुर (म.प्र.)